

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2026-27/ Escort Allowance

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

दिशा-निर्देश (सत्र 2026-27)

विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं हेतु एस्कॉर्ट भत्ता (Escort Allowance) (IEd-Samagra-Escort Allowance)

अवधारणा एवं उद्देश्य :-

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं (CwSN) का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2026-27 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत CwSN छात्र-छात्राओं को **विद्यालय आवागमन हेतु एस्कॉर्ट भत्ता देय होता है।** सत्र 2026-27 में एस्कॉर्ट भत्ता उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है :-

- **श्रेणी :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थिदोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दिता, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत CwSN छात्र-छात्राओं को एस्कॉर्ट भत्ता देय है। Under section 16 (viii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, "to provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs." Transport allowance helps children with special needs in reaching schools.
- **पात्रता :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दिता व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित छात्र-छात्राएँ जो घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक अकेले (बिना किसी व्यक्ति की सहायता से) पहुँच पाने में असमर्थ है अर्थात् इन्हे घर से विद्यालय व विद्यालय से घर तक इनके अभिभावकों द्वारा ही लाया ले जाया जाता है तथा जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इन छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को एस्कॉर्ट भत्ता देय होगा।
- **अवधि :-** 10 माह के लिए
- **राशि :-** ₹250/-प्रति माह

Signature valid

Digitally signed by Rasmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.07.15 19:13:58 IST
Reason: Approved 11 Page

RajKaj Ref No.:
23168886

M e-Sign



- एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान किये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह जुलाई, 2026 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ/यूसीईईओ संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
- प्राप्त आवेदन पत्रों में से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।
 1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक — अध्यक्ष
 2. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक — सदस्य सचिव
 3. सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी (IED) — सदस्य
 4. सहायक लेखाधिकारी — सदस्य
 5. संदर्भ व्यक्ति (CwSN) जिला मुख्यालय — सदस्य
- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र छात्र-छात्राओं का चयन कर एस्कॉर्ट भत्ता जारी किए जाने की अनुशंसा करेगी।
- समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित छात्र-छात्राओं हेतु 10 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक CBEO को एवं CBEO द्वारा संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्थाप्रधान को विस्तृत एवं स्पष्ट निर्देशों के साथ लिमिट जारी करनी होगी, जिससे छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।

माह का नाम जिसमें संबंधित को राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एस्कॉर्ट भत्ते का भुगतान किया जाना है।
जुलाई, 2026	जुलाई, अगस्त, सितम्बर (3 माह)
अक्टूबर, 2026	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर (3 माह)
जनवरी, 2027	जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल (4 माह)

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन छात्र-छात्राओं को एस्कॉर्ट भत्ता (Escort Allowance) की राशि प्राप्त हो रही है, उन छात्र-छात्राओं को यह राशि देय नहीं होगी।
- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के समावेशी शिक्षा की उपमद "Provision for Children with Special Needs (CWSN)- Student Oriented Components (R)- Escort Allowance (C719 & C2610)" आवंटित राशि में से व्यय किया जायेगा।
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं की न्यूनतम 40 प्रतिशत उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जायेगी।

विशेष बिन्दु :-

- जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र छात्र-छात्राओं को लाभ मिल सके।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.07.15 19:13:58 IST
Reason: Approved 21 Page

- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र छात्र-छात्राओं को भत्ता दिया जाना संभव नहीं हो पाता है तो समावेशी शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशी शिक्षा अनुभाग को भिजवाएं।
- एस्कॉर्ट भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रक्रिया सम्पादित करते हुए संबंधित छात्र-छात्रा के बैंक खाते में/गंभीर दोष वाले बच्चों के माता-पिता/अभिभावक तथा छात्र-छात्रा के संयुक्त खाते में संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्थाप्रधान (SNA) द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बंधित छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में एस्कॉर्ट भत्ता जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
- एस्कॉर्ट भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है।
- प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा एसएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जायेगी।
- पात्र CwSN छात्र-छात्राओं को देय एस्कॉर्ट भत्ते की सूचना PRABANDH Portal पर अनिवार्य रूप से तिमाही जारी करते ही अपडेट करें। भत्तों हेतु पात्र बच्चों के आवेदन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी।
- पात्र छात्र-छात्राओं के भत्ते की राशि स्वीकृत होने के उपरान्त राशि से वंचित रहने की स्थिति में संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
- छात्र-छात्राओं की सूचना अपडेट करने के बाद एस्कॉर्ट भत्ते वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले एस्कॉर्ट भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगी।

मॉनिटरिंग क्रियाविधि (Monitoring Mechanism) :-

- CwSN विद्यार्थियों को हस्तान्तरित भत्ते की राशि की एन्ट्री विद्यालय/पीईईओ/यूसीईईओ स्तर से शाला दर्पण पर बने मॉड्यूल में की जायेगी।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा शाला दर्पण पर पीईईओ द्वारा की गई प्रविष्टि को प्रत्येक माह अवलोकन किया जायेगा। कम प्रविष्टि होने पर पीईईओ/ब्लॉक से शीघ्र राशि हस्तान्तरित करवाया जाकर इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जायेगी।
- समस्त जिलों द्वारा शाला दर्पण पर किए गए प्रविष्टि का राज्य स्तर पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक अवलोकन किया जायेगा।
- अवलोकन में कम प्रविष्टि वाले जिले को उक्त संबंध में अवगत कराया जायेगा व अपेक्षित प्रगति न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.07.15 12:13:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23168886

M e-Sign

➤ बजट प्रावधान :-

Sub Component	Activity	Sub Activity	Unit Cost	Target	
				Phy.	Fin. (In Lakh)
Provision for Children with Special Needs (CWSN)	Student Oriented Components (Upto Highest Class - VIII) (Student Specific) (Recurring)	Escort Allowance (C719)	0.02500	10100	252.50
	Student Oriented Components (Upto Highest Class - XII) (Student Specific) (Recurring)	Escort Allowance (C2610)	0.02500	6250	156.25
		Total budget (Ele & Sec)		16350	408.75

➤ लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(डॉ० रश्मि शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/आईईडी/2026-27/ Escort Allowance/

दिनांक : यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (योजना एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.07.15/19:13:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23168886

M e-Sign

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद एस्कॉर्ट भत्ता हेतु आवेदन पत्र

फोटो मय
प्रमाणीकरण

1. नाम छात्र/छात्रा.....लिंग.....
2. पिता का नाम.....मोबाइल.....
3. जन्म तिथि.....कक्षा.....
4. स्थानीय पूर्ण पता.....
5. एस.आर. न0.....दोष का प्रकार एवं प्रतिशत.....
6. पीईईओ/यूसीईईओ.....ब्लॉक.....
7. विद्यालय.....डाईस कोड.....
8. आधार कार्ड नम्बर.....जनआधार नं.....
9. खाता संख्या छात्र/छात्रा.....IFSC Code.....
10. बैंक का नाम.....
11. वाहन का प्रकार जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
12. क्या अन्य पात्र छात्र-छात्राओं के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है। यदि हाँ, तो छात्र-छात्राएँ का नाम.....
13. क्या छात्र-छात्राएँ घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है ? यदि हाँ, तो कारण व किसके द्वारा विद्यालय तक लाया ले जाया जाता है
.....
.....

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्र/छात्रा

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं छात्र/छात्रा..... उक्त विद्यालय की कक्षा.....में अध्ययनरत है तथा उक्त छात्र/छात्रा को ₹.....प्रतिमाह एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र/छात्रा पुत्र/पुत्री श्री.....विद्यालय..... को एस्कॉर्ट भत्ता ₹..... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर
नाम पद सहित.....

शपथ-पत्र

मेरे द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा अन्य किसी योजना से एस्कॉर्ट भत्ता नहीं लिया जा रहा है।

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्र/छात्रा

Signature valid

Digitally signed by Rajkaj Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.07.15 19:13:58 IST
Reason: Approved 51 Page

INCLUSIVE EDUCATION 2026-27

Escort Allowance (Rs. 250/ per Month for 10 Months)					
S.N.	Name of District	PHY.(ELE.)	FIN. (in Lakh)	PHY.(SEC.)	FIN. (in Lakh)
1	AJMER	250	6.25	190	4.75
2	ALWAR	450	11.25	290	7.25
3	BALOTARA	90	2.25	80	2.00
4	BANSWARA	150	3.75	140	3.50
5	BARAN	200	5.00	140	3.50
6	BARMER	225	5.63	140	3.50
7	BEAWAR	200	5.00	140	3.50
8	BHARATPUR	300	7.50	150	3.75
9	BHILWARA	300	7.50	150	3.75
10	BIKANER	300	7.50	180	4.50
11	BUNDI	200	5.00	130	3.25
12	CHITTAURGARH	350	8.74	150	3.75
13	CHURU	250	6.25	180	4.50
14	DAUSA	115	2.88	75	1.88
15	DEEG	225	5.63	125	3.13
16	DHAULPUR	225	5.63	150	3.75
17	DIDWANA-KUCHAMAN	150	3.75	150	3.75
18	DUNGARPUR	60	1.50	65	1.63
19	GANGANAGAR	500	12.50	200	5.00
20	HANUMANGARH	350	8.75	200	5.00
21	JAIPUR	830	20.74	450	11.25
22	JAISALMER	150	3.75	80	2.00
23	JALOR	180	4.50	80	2.00
24	JHALAWAR	200	5.00	120	3.00
25	JHUNJHUNU	170	4.25	100	2.50
26	JODHPUR	400	10.00	250	6.25
27	KARAULI	200	5.00	150	3.75
28	KHAIRTHAL-TIJARA	200	5.00	150	3.75
29	KOTA	160	4.00	90	2.25
30	KOTPUTLI-BEHROR	200	5.00	165	4.12
31	NAGAU	300	7.50	250	6.25
32	PALI	200	5.00	150	3.74
33	PHALODI	70	1.74	80	2.00
34	PRATAPGARH (RAJ.)	200	5.00	130	3.25
35	RAJSAMAND	200	5.00	80	2.00
36	SALUMBAR	125	3.13	80	2.00
37	SAWAI MADHOPUR	225	5.63	80	2.00
38	SIKAR	300	7.50	160	4.00
39	SIROHI	225	5.63	160	4.00
40	TONK	225	5.63	120	3.00
41	UDAIPUR	450	11.24	300	7.50
Total		10100	252.50	6250	156.25

Signature valid

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation: State Project Director
Date: 2026.07.15/19:13:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23168886

M e-Sign